रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2015/आषाढ़ 12, 1937
No. 427]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2015/ASADHA 12, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई,2015

सा.नि.का. **534**(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उप) धारा-7क के (खंड (ख) के साथ पठित बीमा अधिनियम,) धारा-की उप 114 की धारा 1938 2 के खंड (और बीमा (ककक) विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (41 का 1999) की धारा 24द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, भारतीय बीमा कंपनी नियम (विदेशी विनिधान),में संशोधन करने के लिए 2015 नियम बनाती हैलिखित अतिरिक्तनिम्न, अर्थात्-:

1. (1) संशोधन नियम (विदेशी विनिधान) इन नियमों को भारतीय बीमा कंपनी,कहा जाएगा 2015 ।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम (विदेशी विनिधान) भारतीय बीमा कंपनी,क लिखित परन्तुमें निम्न (ठ) के खंड 2 में नियम 2015 किया जाएगाको अंतर्विष्ट, अर्थात्-:

“परन्तु यह कि ऐसे भारतीय प्रवर्तकों या भारतीय विनिधानकर्ता कंपनी की विदेशी धारिता की संगणना का तरीका नियम के ख 2ंड के अनुसार होगा (त)।”

[फा. सं.12018/1/2006-बीमा-IV]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में फरवरी 19, की 2015 अधिसूचना संख्या सा.नि.का.115 (अ) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2015

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938 read with clause (b) of sub-section (7A) of section 2 of the Insurance Act, 1938 and section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, in clause (l) of rule 2, the following proviso shall be inserted, namely:

   "Provided that the manner of computation of foreign holding of such Indian promoter or Indian Investor Company shall be in accordance with clause (p) of rule 2."

[F. No. 12018/1/2006-Ins. IV]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 115(E), dated the 19th February, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.